संख्या-24/2021/112/41-2020-02(बजट)/2018टी0सी0

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक, 12 जनवरी 2021

विषय- **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के कार्य कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

पर्यटन विभाग ,उ0प्र0 द्वारा जनपद हरिद्वार , उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना निर्माणाधीन है। इस हेतु कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम ,लि0 द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष व्यय वित्त समिति की बैठक 04 मई, 2018 में रू0 2654.74 लाख की लागत अनुमोदित की गयी थी तथा प्रायोजना की मूल लागत वर्ष 2018 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर आधारित थी। उक्त संस्तुति के क्रम में मूल्यांकित लागत के अनुसार राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश सं0-107/ 2018/1828/ 41-2018 -02(बजट) /2018 दिनांक 26 मईए 2018 द्वारा प्रायोजना हेतु रू0 2654.74 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। परन्तु प्रायोजना हेतु दी गई उक्त स्वीकृति के क्रम में हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा ड्राइंग पर अप्रैल 2019 में अनुमोदन प्रदान किये जाने के कारण कार्य आरम्भ करने के समय श्रमिक एवं सामग्री दरों में वृद्धि होने , मुख्य भवन का कुर्सी क्षेत्रफल 6091.70 वर्ग मी0 के स्थान पर 7100.07 वर्ग मी0 प्रस्तावित किये जाने ,सामान्य विट्रीफाइड टाइल्स के स्थान पर डिजिटल हाईग्लौस पालिज्ड विट्रीफाइड टाइल्स का उपयोग करने, साधारण सिरेमिक वॉल टाइल्स तथा साधारण सेनेटरी के स्थान पर उच्च क्वालिटी सेनेटरी प्रस्तावित किये जाने एवं अन्य कारणों से प्रायोजना की लागत में वृद्धि होने के दृष्टिगत पुनरीक्षित आगणन रू0 3607.38 लाख गठित कराकर स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया । उक्त पुनरीक्षित आगणन रू0 3607.38 लाख का मूल्यांकन/परीक्षण व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.08.2020 में किया गया और पुनरीक्षित आगणन में सम्मिलित की गई उच्च विशिष्टयों के स्थान पर मितव्ययिता की दृष्टि से सामान्य विशिष्टियों को अनुमन्य किया गया जिसके फलस्वरूप पुनरीक्षित आगणन की लागत रू0-3261.15 लाख आंकलित की गई , जो डी0एस0आर0 वर्ष 2018 + 3.39 प्रतिशत कास्ट इन्डेक्स पर आधारित थी । व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित उक्त पुनरीक्षित लागत रू0-3261.15 लाख के क्रम में शासनादेश सं0-255/ 2020/1712/ 41-2020- 02(बजट)/2018 दिनांक 06 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-3261.15 लाख निर्गत कर दी गई। तदनन्तर प्रश्नगत निर्माणाधीन आवास गृह को विशिष्ट गढ़वाली स्वरूप दिये जाने हेतु बाहरी दीवारों पर प्रस्तावित स्टोन क्लैडिंग, बे-विन्डों पर स्टोन जाली आदि उच्च विशिष्टियों की अनुमन्यता प्रदान किये जाने की आवश्यकता महसूस किये जाने के कारण व्यय वित्त समिति की बैठक दि0-18-11-2020 में प्रश्नगत पुनरीक्षित आगणन रू0 3607.38 लाख का पुनर्परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन करते हुये प्रायोजनान्तर्गत निम्नांकित उच्च विशिष्टियों पर विचार किया गया एवं क्रमांक-6 से 8 पर पूर्व में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त होने का उल्लेख करते हुये शेष क्रमांक-1 से 5 पर अंकित मदों पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने की संस्तुति की गई :-

क्र0सं0	उच्च विशिष्टियों के कार्यों का विवरण	लागत (रूपये लाख में)
1	स्टोन क्लैडिंग (2216.**61** व0मी0)	111.37
2	स्टोन जाली (479.763 व0मी0)	46.76
3	विट्रीफाइट टाइल्स (5166.35 व0मी0)	99.36
4	उच्च श्रेणी की सेरेमिक वाल टाइल्स (3665.77 व0मी0)	43.35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	रूफ टाइल्स (1546.148 व0मी0)	16.39
6	इन्टीरियर वर्क(प्रथम तल से पंचम तल)-फाल्स सीलिंग (3749.32 व0मी0)	81.04
7	इन्टीरियर वर्क (बैंक्वेट हॉल)- फाल्स सीलिंग (757.31 व0मी0) एवं वाल पेनलिंग (928.87 व0मी0)	36.63
8	कारपेट फलोरिंग (590 व0मी0)	13.18

2- अतः उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

(क) संदर्भगत परियोजना में व्यय वित्त समिति की संस्तुति के क्रम में उपरोक्त तालिका के क्रमांक-1 से 5 पर अंकित उच्च विशिष्टियों के कार्यों को समावेशित कराये जाने हेतु मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

(ख)- परियोजना की अग्रेतर कार्यवाही में निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

3- कृपया तदनुसार प्रायोजना के क्रियान्वयन हेतु अग्रतर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2021/112/41-2020-02(बजट)/2018टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) , पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग /लो0नि0वि0/नगर विकास विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त सलाहकार, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
11- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
12- अपर परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2 देहरादून।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
14- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मेरठ।
15- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
16- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।